

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. प्रा.पत्र/64/14

दर्ज दिनांक:-15.07.14

कुवरपाल बनाम देवीसिंह  
अभिभाषक दिनेश चंद शर्मा

निर्णय

दिनांक:-15.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार उनके अभिभाषक को कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर